



अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 289 / 01 / आ.उ.शि. / राज.स्था. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 23.07.2025 एवं छ. ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-54 / स्था. / 2020 / 38-1 / नवा रायपुर दिनांक 20.06.2024 के अनुसार इस महाविद्यालय में प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापन / खेलकूद व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / क्रीड़ा अधिकारी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण- पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 05 / 08 / 2025 को सायं 04.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक / ग्रंथालय सहायक / क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय में कार्य करने के लिए बिन्दु-1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ- साथ आवेदनों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र / छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा समक्षता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल / अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल सहायक / क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

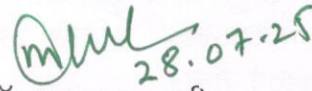
क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह.प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1.	गणित	—	—	01	—	—
2.	भौतिकी	—	—	01	—	—
3.	वाणिज्य	—	—	01	—	—
4.	क्रीड़ाधिकारी	—	—	—	—	01


PRINCIPAL

टीप:- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थपना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत व्याख्याता एवं अन्य की संवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

शर्त :-

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वी, 12वी स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट,एम. फिल/पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक **05/08/2025** को सायं **04.00 बजे** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनो को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया मे ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार व जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **07/08/2025** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **08/08/2025** तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **11/08/2025** को किया जावेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं जाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया गया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।


(डॉ. एम.एल. वर्मा)
PRINCIPAL
Satyanarayan Agarwal
सत्यानारायण अग्रवाल
Govt. Arts & Commerce College
कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
Kohka-Neora, Distt.-Raipur (C.G.)